संख्या-621/2025/2105/22-2-2024-17(621)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तुफैल अंसारी पुत्र श्री समीउल्ला अंसारी, निवासी जनपद-कुशीनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-36860/प्रोबे0-5-दया0बैठक-19-11-2024 दिनांक 05.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी तुफैल अंसारी पुत्र श्री समीउल्लाह अंसारी, जो ग्राम-कुबेरस्थान, थाना- कुबेरस्थान, जनपद-कुशीनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा कु0 अंशू उम्र 07 वर्ष के साथ दिनांक 12.01.2010 को बलात्कार कर हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-**147/2010** भा0द0वि0 की धारा-**376, 302, 201** के अन्तर्गत मा० न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर-पडरौना के दण्डादेश दिनांक **06.02.2014** द्वारा मृत्युदण्ड व अर्थदण्ड रू0 50,000/- के व्यतिक्रम में 12 वर्ष का साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.02.2015 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक **28.06.2024** तक अपरिहार **14** वर्ष, **05** माह, **16** दिन तथा सपरिहार **16** वर्ष **11** माह, **22** दिन की सजा भोगी गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी की समयपूर्व रिहाई होने से समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (कु० अंशू उम्र **07** वर्ष के साथ बलात्कार कर हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं द्वारा किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की जाती है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तुफैल अंसारी (बन्दी संख्या-138/2014) पुत्र समीउल्ला अंसारी, निवासी जनपद-कुशीनगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-621/2025/2105(1)/22-2-2024-17(621)/2024तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।